

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर  
क्रमांक:-योजना/15 वीं विधानसभा/प्रथम सत्र/2019/339

दिनांक:- 8/2/19

### कार्यालय आदेश

15वीं राजस्थान विधानसभा का प्रथम सत्र दिनांक 15.01.2019 से प्रारम्भ हो चुका है एवं विभाग के प्रश्न दिनांक 11.02.2019 एवं 14.02.2019 को राजस्थान विधानसभा में सूचीबद्ध है। जिनके उत्तर एवं पूरक सामग्री तैयार करने हेतु लेख है कि इस विभाग के समस्त कार्यालय राजपत्रित अवकाश के दिन भी खुले रहेंगे एवं प्रश्नों के जवाब तैयार कर समय पर भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

शासन उप सचिव  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग,  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-योजना/15 वीं विधानसभा/प्रथम सत्र/2019/339

दिनांक:- 8/2/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
2. शासन संयुक्त सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राज0 जयपुर।
3. निदेशक (आरसीएच/एड्स/आईईसी) मुख्यालय।
4. अति0 निदेशक (राजपत्रित/प्रशासन/चिकित्सा प्रशासन/आरसीएच/ग्रामीणस्वास्थ्य) मुख्यालय।
5. संयुक्त निदेशक (योजना/अंधता) मुख्यालय।
6. वित्तीय सलाहकार मुख्यालय।
7. नोडल अधिकारी (सीएमआईएस/एमएनजेवाई/एमएनडीवाई/ एनसीडी/एटीसी/ फ्लोरोसिस/मेन्टल हैल्थ/आईडीएसपी/आईसीडीएस) मुख्यालय।
8. औषधि नियंत्रक मुख्यालय।
9. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ समस्त जोन राजस्थान।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राज0 जयपुर।
11. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि पत्र को सम्बन्धित की मेल आईडी पर उपलोड करने का श्रम करें। विभागीय तैलशुद्ध पर उपलोड करें।

शासन उप सचिव  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग,  
राजस्थान, जयपुर